R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड VI ◆ अंक 3
सितंबर 2009

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र

रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरइ) एक्सपोज़र के वर्गीकरण पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। 9 सितंबर 2009 से लागू दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-

परिभाषा

स्थावर संपदा को सामान्यतः अचल आस्ति (भूमि-स्थल) और उस पर स्थायी रूप से जुड़े निर्माण के रूप में पारिभाषित किया जाता है। आय-उत्पादक स्थावर संपदा (आइपीआरई) की परिभाषा बासल-II-ढाँचे में दी गयी है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः

> "आय-उत्पादक स्थावर संपदा (आइपीआरई) का तात्पर्य स्थावर संपदा (उदाहरण के लिए, किराये पर देने के लिए कार्यालय भवन, खुदरा बिक्री के स्थान, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, औद्योगिक या गोदाम की जगह और होटल) को निधि उपलब्ध कराने की विधि से है, जिसमें एक्सपोज़र की चुकौती और वसूली की संभावना मुख्यतया आस्ति से होने वाले नकदी प्रवाह पर निर्भर करती है। इन नकदी प्रवाहों का प्राथमिक स्रोत सामान्यतःआस्ति का पट्टा या किराये का भुगतान या बिक्री होती है। उधारकर्ता एक एसपीई (विशेष प्रयोजन हस्ती), स्थावर संपदा निर्माण या धारिताओं पर केंद्रित परिचालन कंपनी या स्थावर संपदा से इतर आय के स्रोत वाली परिचालन कंपनी हो सकता है, पर ऐसा होना अपेक्षित नहीं है। स्थावर संपदा की संपार्श्विक जमानत वाले अन्य कार्पोरेट एक्सपोज़र की तुलना में आइपीआरई को अलग करने वाली विशेषता यह है कि आइपीआरई में एक्सपोज़र की चुकौती की संभावना तथा चूक होने की स्थिति में वसूली की संभावना के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध है, क्योंकि दोनों मुख्यतया संपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह पर निर्भर हैं।

आइपीआरई की उपर्युक्त परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि आइपीआरई/सीआरई के रूप में किसी एक्सपोज़र को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक विशेषता यह होगी कि निधीयन से स्थावर संपदा (यथा किराये पर देने के लिए कार्यालय भवन, खुदरा बिक्री के स्थान, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, औद्योगिक या गोदाम की जगह और होटल) का सृजन /अधिग्रहण होगा, जिसमें चुकौती की संभावना मुख्यतया आस्ति से होनेवाले नकदी प्रवाह पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, चूक होने पर वसूली की संभावना भी इस प्रकार की निधि प्रदत्त आस्ति से होनेवाले नकदी प्रवाह पर ही मुख्यतया निर्भर करेगी, क्योंकि ऐसी आस्ति को ही जमानत के रूप में लिया जाता है। चुकौती के लिए नकदी प्रवाह और चूक की स्थिति में, यदि ऐसी आस्तियों को जमानत के रूप में लिया गया है तो वसूली के लिए भी प्राथमिक स्रोत (अर्थात् नकदी प्रवाह का 50% से अधिक अंश) सामान्यतया आस्तियों का पट्टा या किराया भुगतान या बिक्री होगा।

ये दिशानिर्देश उन मामलों पर भी लागू होंगे जहाँ एक्सपोज़र सीआरई के सृजन या अधिग्रहण से प्रत्यक्षतः संबद्ध न हो, लेकिन चुकौती सीआरई से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाह से आएगी। उदाहरण के लिए, मौजूदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा की जमानत पर लिए गए ऋण, जिनकी चुकौती मुख्यतया स्थावर संपदा के किराये/विक्रय राशि पर निर्भर करती है, सीआरई के रूप में वर्गीकृत किये जाने चाहिए। अन्य ऐसे मामले हैं : वाणिज्यिक स्थावर संपदा गतिविधियों में संलग्न कंपनियों की ओर से गारंटी देना, स्थावर संपदा कंपनियों के साथ किए गए डेरिवेटिव लेनदेन के कारण एक्सपोज़र, स्थावर संपदा कंपनियों को दिए गए कार्पोरेट ऋण तथा स्थावर संपदा कंपनियों की ईक्विटी और ऋण लिखतों में निवेश।

रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र की परिभाषा बासल II परिभाषा के अत्यंत समरूप है तथा उपर्युक्त के अनुसार होगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि चुकौती प्राथमिक रूप से अन्य घटकों पर, उदाहरण के लिए कारोबार परिचालनों से होनेवाले परिचालन लाभ, माल और सेवाओं की गुणवत्ता, पर्यटकों

विषय सूची

नीति	पृष्ठ
वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र	1
सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखना	2
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार	3
कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008	3
बैंकों द्वारा संपत्ति का बंधक रखा जाना - सूचना का प्रकटन	3
टीयर II पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करना	3
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी	4
शहरी सहकारी बैंक	
दैनंदिन उत्पाद आधार पर बचत बैंक खाते पर ब्याज का भुगतान	4
फेमा	
विदेशी मुद्रा खाते में वीसा शुल्क जमा करना	4
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ब्याज-दर फ्यूचर्स में सहभागिता की अनुमति दी गई	4
सूचना	
लघु जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा	4

के आगमन आदि पर निर्भर करे तो एक्सपोज़र को वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोज़र नहीं माना जाएगा।

आवास वित्त पर 1 जुलाई 2009 के रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार बैंक निजी भवन निर्माताओं को तो नहीं, परंतु सरकारी एजेंसियों को भूमि के अधिग्रहण और विकास के लिए वित्तपोषण कर सकते हैं, बशर्ते ये ऐसी पूर्ण परियोजना के अंग हों, जिनमें जल प्रणाली, जल-निकासी, सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था शामिल हो। जहाँ भूमि का अधिग्रहण और विकास राज्य आवास बोर्डों और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया हो, वहाँ बैंक प्रत्येक निर्दिष्ट परियोजना के लिए निजी भवन निर्माताओं को वाणिज्यिक शर्तों पर ऋण दे सकते हैं। तथापि, बैंकों को किसी आवास परियोजना के अंग के रूप में भी भूमि अधिग्रहण के लिए निजी भवन निर्माताओं को निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

भूखंड की खरीद के लिए व्यक्तियों को भी बैंक वित्त मंजूर किया जा सकता है, बशर्ते उधारकर्ता से यह घोषणा प्राप्त की गयी हो कि वह उक्त भूखंड पर उस अवधि के भीतर मकान बनाएगा जिसे स्वयं बैंक ने निर्धारित किया हो।

जिन सीआरई एक्सपोज़रों को ऋण जोखिम कम करनेवाले पात्र तत्वों द्वारा संपार्श्वीकृत किया गया हो उन्हें संपार्श्विक के जोखिम कम करनेवाले प्रभाव की सीमा तक घटाया जाएगा। सीआरई एक्सपोज़र जिस सीमा तक वाणिज्यिक स्थावर संपदा की जमानत से सुरक्षित है, उस सीमा तक 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा। ऐसे मामलों में जहाँ सीआरई एक्सपोज़र का कोई अंश वाणिज्यिक स्थावर संपदा की जमानत से सुरक्षित नहीं किया गया है, वहाँ उक्त अंश पर सीआरई एक्सपोज़र पर लगनेवाला जोखिम भार या उधारकर्ता के बाह्य श्रेणी निर्धारण (रेटिंग) के अनुसार जोखिम भार, इनमें जो भी उच्चतर हो लागू होगा।

बहुविध वर्गीकरण

किसी एक्सपोज़र के लिए यह संभव है कि उसे एक से अधिक श्रेणियों में एक ही साथ वर्गीकृत किया जाए क्योंकि विभिन्न वर्गीकरण विभिन्न विचारों द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे मामलों में एक्सपोज़र की गणना रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक/विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा, यदि है, अथवा स्वयं बैंक द्वारा उन सभी श्रेणियों के लिए जिसमें एक्सपोज़र समनुदेशित है, के लिए की जाएगी। पूँजी पर्याप्तता के लिए सभी श्रेणियों के बीच लागू सबसे बड़ा जोखिम भार एक्सपोज़र के लिए लागू होगा। उसी प्रकार यदि कोई एक्सपोज़र एक से अधिक जोखिम कारकों के लिए संवेदनशील है तो इसे सभी संगत जोखिम कारकों के लिए लागू जोखिम प्रबंध ढाँचे के अधीन लाया जाएगा।

रिज़र्व बैंक ने एक्सपोजरों पर कुछ स्पष्ट उदाहरण दिए हैं जिन्हें सीआरइ और ऐसे एक्सपोजरों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा जो इसकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं। सिद्धान्तों और दिए गए उदाहरणों के आधार पर बैंक यह निर्धारित कर सकेंगे कि कोई एक्सपोज़र सीआरइ है या नहीं और वर्गीकरण को उचित ठहराते हुए एक विवेकसम्मत टिप्पणी दर्ज कर सकेंगे।

ये दिशानिर्देश सीआरइ एक्सपोज़रों के रूप में एक्सपोज़रों के वर्गीकरण से संबंधित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी पूर्व अनुदेशों का अवक्रमण करते हैं। रिज़र्व बैंक के 29 जून 2009 के परिपत्र में निहित अनुदेशों सहित स्थावर संपदा एक्सपोज़र के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करनेवाले विनियामक अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखना

रिज़र्व बैंक ने 8 सितंबर 2009 को अधिसूचना जारी की जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के प्रयोजन के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आस्तियों के स्वरूप और पद्धति का विवरण दिया गया है। निर्धारित आस्तियाँ निम्नानुसार है:

(क) नकदी, अथवा

(ख) स्वर्ण जिसका मूल्य चालू बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं होगा, अथवा

(ग) निम्नलिखित लिखतों में भार-रहित निवेश जिन्हें "सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियाँ" कहा जाएगा :

* 8 सितंबर 2009 तक जारी दिनांकित प्रतिभूतियां;
* भारत सरकार के खज़ाना बिल;
* बाज़ार उधार कार्यक्रम तथा बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत समय-समय पर जारी भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां;
* बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण ;
* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किए जानेवाले कोई अन्य लिखत।

स्पष्टीकरण

क. किसी बैंकिंग कंपनी के "भार रहित निवेश" में अग्रिम अथवा किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास रखी गयी उपर्युक्त प्रतिभूतियों में निवेश उस सीमा तक शामिल होगा जिसके बदले उन प्रतिभूतियों का कोई आहरण अथवा उपभोग न किया गया हो।

ख. 'बाज़ार उधार कार्यक्रम' का अर्थ भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता से लिए जाने वाले देशी रुपया ऋण हैं, जिनका प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक नीलामी के माध्यम से अथवा इस संबंध में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अन्य विधि से ऐसी विपणनयोग्य प्रतिभूतियों को जारी करके करता है, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों से नियंत्रित होती हैं।

ग. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए राशि की गणना हेतु निम्नलिखित को भारत में रखी गयी नकदी के रूप में माना जाएगा :

(i) भारत से बाहर निगमित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत रखे जाने के लिए अपेक्षित जमाराशियां;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे जाने के लिए अपेक्षित शेष से रखा गया अधिक शेष;

(iii) भारत में अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के पास चालू खातों में निवल शेष।

साथ ही सरकारी प्रतिभूति की एसएलआर स्थिति के संबंध में सूचना देने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया गया है कि :

- भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति प्रतिभूतियों को जारी करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी में दी जाएगी ; तथा
- एसएलआर प्रतिभूतियों की एक अद्यतन और वर्तमान सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर "भारतीय अर्थव्यवस्था का आँकड़ा भंडार" शीर्ष के अंतर्गत दी जाएगी।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम 2006 के अंतर्गत सेवाओं के अधीन क्रियाकलापों के वर्गीकरण की घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि सूक्ष्म और लघु (सेवा) उद्यमों के अंतर्गत कतिपय क्रियाकलापों के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया जाएगा बशर्ते ये उद्यम उपकरण में निवेश के संबंध में ये उद्यम सूक्ष्म और लघु (सेवा) उद्यमों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं (अर्थात भूमि और भवन, फर्नीचर और फिटिंग्स और अन्य मदों को छोड़कर मूल लागत जो दी गई सेवा से सीधे संबंधित नहीं हैं अथवा जिसे एमएसएमइडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, को क्रमश: 10 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए)। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं -

(क) प्रबंधन सेवाओं सहित परामर्शी सेवाएं

(ख) जोखिम और बीमा प्रबंधन में संयुक्त दलाल सेवाएं

(ग) पॉलिसीधारकों के चिकित्सा बीमा दावों के लिए त्रिपक्षीय प्रशासन सेवाएं (टीपीए)

(घ) बीज ग्रेडिंग सेवाएं

(ङ) प्रशिक्षण-सह-इनकुबेटर केंद्र

(च) शैक्षणिक संस्थाएं

(छ) प्रशिक्षण संस्थाएं

(ज) खुदरा व्यापार

(झ) विधि प्रैक्टिस अर्थात् कानूनी सेवाएं

(ञ) चिकित्सा उपकरणों में व्यापार (बिल्कुल नया)

(ट) नियोजन और प्रबंधन परामर्शी सेवाएं

(ठ) विज्ञापन एजेंसी और प्रशिक्षण केंद्र

तदनुसार, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत खुदरा व्यपार के लिए कोई अलग श्रेणी नहीं होगी। खुदरा व्यापार अर्थात् आवश्यक पण्य वस्तुएं (उचित मूल्य दुकानों) में व्यापार कर रहे खुदरा व्यापारियों को अग्रिम प्रदान करना, उपभोगता सहकारी स्टोर और 20 लाख से अधिक की ऋण सीमा के भीतर के निजी खुदरा व्यापारियों को अग्रिम प्रदान करने को अब से लघु (सेवा) उद्यमों के एक भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008

भारत सरकार ने ऋण राहत योजना (कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के अधीन) के अंतर्गत "अन्य किसानों" द्वारा अतिदेय हिस्से के 75% के भुगतान की अंतिम तारीख 30 जून 2009 से और छः महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2009 तक कर दी है। भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों/ऋणदात्री संस्थाओं को एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) के तहत पात्र राशि के 75% से कम राशि भी स्वीकार करने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ऋणदात्री संस्थाएं इस अंतर को खुद वहन करें और उसके लिए न तो सरकार से दावा करें और न ही किसान से। ऋण राहत के अंतर्गत सरकार वास्तविक पात्र राशि के केवल 25% का भुगतान करेगी।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ऋणदात्री संस्थाएं 29 फरवरी 2008 से 30 जून 2009 के बीच की अवधि के लिए पात्र राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगी। तथापि, बैंक पात्र राशि पर 1 जुलाई 2009 से निपटान की तारीख तक के लिए सामान्य ब्याज दर लगा सकते हैं।

जिन मामलों में ऋण राहत योजना के दायरे में आने वाले किसानों ने एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत अपने अंश का भुगतान करने की सहमति के रूप में वचन-पत्र दिया है वहां बैंक उनके संबंधित खातों को 'मानक'/ 'अर्जक' मान सकते हैं, बशर्ते -

(क) बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं से बकाया सभी प्राप्य राशियों के लिए उनके वर्तमान मूल्य (पीवी) के अनुसार हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो । (इस योजना के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के आधार पर हानि की राशि की गणना करने के लिए किसानों से प्राप्य शेष राशि को 31 दिसंबर 2009 को देय माना जाए और उस पर ब्याज का भुगतान उपर्युक्त के अनुसार होगा । वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए नकदी प्रवाह पर उस दर पर बट्टा लगाया जाना चाहिए जिस ब्याज दर पर ऋण मंजूर किया गया था और जिसमें सरकार से प्राप्त ब्याज सहायता,यदि है, के तत्व को भी शामिल किया गया हो।

(ख) ऐसे किसान निपटान के अपने हिस्से का भुगतान संशोधित अंतिम तारीख अर्थात् 31 दिसंबर 2009 तक अनिवार्य रूप से करें।

तथापि, यदि किसानों द्वारा 31 दिसंबर 2009 तक भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे किसानों के संबंधित खातों में बकाया राशि को अनर्जक आस्ति माना जाएगा। इस तरह के खातों के आस्ति वर्गीकरण का निर्धारण अनर्जक आस्ति की मूल तिथि के संदर्भ में किया जाएगा (ऐसा मानते हुए कि उपर्युक्त वचन-पत्र के आधार पर खाते को बीच की अवधि के दौरान अर्जक के रूप में नहीं माना गया था)। खातों की श्रेणी को इस प्रकार घटाए जाने के बाद विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

आपको यह ज्ञात होगा कि 25 जून 2009 में यह सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार से 25% की ऋण राहत पाने के लिए "अन्य किसानों" के खाते पात्र होंगे भले ही वे अपने 75% के संपूर्ण हिस्से का भुगतान एक ही किस्त में करते हों बशर्ते ऐसी किस्त 30 जून 2009 तक जमा कर दी गई हो।

बैंकों द्वारा संपत्ति का बंधक रखा जाना - सूचना का प्रकटन

माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई के समक्ष आए एक मामले में की गई टिप्पणी के अनुपालन में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि आवास/ विकास परियोजनाओं को वित्त मंजूर करते समय भू-खंड के निर्माता/विकासकर्ता/ कंपनी शर्तों के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित को शामिल करें:

(i) अपनी पर्चियों/पुस्तिकाओं आदि में उस बैंक (बैंकों) का नाम प्रकट करें जिसको संपत्ति बंधक रखी गई हो।

(ii) किसी विशेष योजना के विज्ञापन को समाचार पत्रों/पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित करते समय बंधक से संबंधित सूचनाओं को विज्ञापन में शामिल करें।

(iii) अपनी पर्चियों/पुस्तिकाओं में यह दर्शाएं कि वे फ्लैटों/संपत्ति की बिक्री के लिए यदि आवश्यक हो तो बंधग्राही बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)/अनुमति प्रदान करेंगे।

बैंकों को उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और भवन निर्माता/विकासकर्ता/कंपनी द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के बाद ही उन्हें निधि जारी की जाए।

टीयर II पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण जारी करना

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की समीक्षा करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकों को टीयर II पूंजी के रूप में काल तथा स्टेप-अप ऑप्शन वाले अधीनस्थ ऋण जारी करने की अनुमति दी जाए।

पूर्व में बैंकों को काल तथा स्टेप-अप ऑप्शन जैसी विशेषताओं के बिना निम्न स्तरीय टीयर II अधीनस्थ बांड जुटाने की अनुमति दी गई थी।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारी

न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियाँ

स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि पूर्व के 50 करोड़ रु. से बढ़ा कर 150 करोड़ रु . कर दी गई है। उन स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों की संशोधित निवल स्वाधिकृत निधि सीमा को 100 करोड़ रु. के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 250 करोड़ रु . कर दिया गया है जो अन्य अनुमत गतिविधियाँ शुरु करना चाहते हैं। निवल स्वाधिकृत निधि की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III बी के खण्ड 45-आइए में दिए गए स्पष्टीकरण टिप्पण के आधार पर की जानी चाहिए।

प्राथमिक व्यापारियों के लिए निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षा का बढ़ा हुआ स्तर 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगा ।

मांग/नोटिस मुद्रा उधार सीमा

प्राथमिक व्यापारियों को रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसत के आधार पर मांग/नोटिस मुद्रा बाजार से उधार लेने की वर्तमान सीमा पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी स्वाधिकृत निधि के 200 प्रतिशत से बढ़ाकर उनकी निवल स्वाधिकृत निधि के 225 प्रतिशत तक कर दी गई है।

बढ़ाई गई उधार सीमा 2 सितंबर 2009 से लागू की गई है।

शहरी सहकारी बैंक

दैनंदिन उत्पाद आधार पर बचत बैंक खाते पर ब्याज का भुगतान

शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2010 से बचत बैंक खातों पर ब्याज की अदायगी की गणना उत्पाद आधार पर की जाए। तदनुसार, ब्याज गणना की इस नई पद्धति को सुचारु रूप से अपनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक मूलभूत व्यवस्था करनी चाहिए।

आपको यह स्मरण होगा कि जून 1987 में शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुदेश दिया गया था कि बचत जमाराशियों के मामले में प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख से अंतिम दिन तक की अवधि खातों में जमा न्यूनतम शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाए ।

फेमा

विदेशी मुद्रा खाते में वीसा शुल्क जमा करना

भारत सरकार के परामर्श से राजनयिक शिष्टमंडलों को अनुमति दी गयी है कि वे भारतीय रुपयों में भारत में संग्रहीत वीसा शुल्क को रुपये खाते से अपने विदेशी मुद्रा खातों में अंतरित करें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ब्याज-दर फ्यूचर्स में सहभागिता की अनुमति दी गई

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त नामित ब्याज-दर फ्यूचर्स विनिमयों में सहभागिता की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गई है कि वे अपने अंतर्निहित निवेशों को सुरक्षित रखने के प्रयोजनो के लिए इस संबंध में रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं।

सूचना

लघु जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा

जमाकर्ता और उनका हित, भारत में बैंकिंग के लिए विनियामक ढाँचे के महत्त्वपूर्ण मसले होते हैं और इस तथ्य का उल्लेख बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कई जगहों पर उचित रूप से किया गया है। बैंकों के संबंध में कोई निर्णय लेते समय, जमाकर्ताओं का हित भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारार्थ एक महत्त्वपूर्ण विषय होता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम रिज़र्व बैंक को जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए बैंकिंग कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों को नियंत्रित करने, निदेश देने, अतिरिक्त निदेशकों को नियुक्त करने, आदि में समर्थ बनाता है। विनियामक शक्तियों को और सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार को भारत में किसी बैंकिंग कंपनी के उपक्रम का अधिग्रहण करने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है कि बैंकिंग कंपनी का "प्रबंधन उसके जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध तरीके से हो रहा है।" इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में किसी बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है यदि, भारतीय रिज़र्व बैंक के मत मे, अन्य बातों के साथ-साथ, "बैंकिंग कंपनी को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हित के खिलाफ होगा।"

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित) जो बीमित बैंकों के रूप में पंजीकृत हैं, के जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। बीमित बैंक, जिसका परिसमापन होता है, का प्रत्येक जमाकर्ता निगम से 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए मात्र) प्राप्त करने का हकदार है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में भी उपबंध बनाए गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ोर देने पर, 14 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र ने भी तमिलनाडु के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा (वित्तीय संस्थाओं में) अधिनियम, 1997, जैसे कानून बनाए हैं जिसमें जमा तथा ब्याज की वापसी-अदायगी में चूक करने वाले वित्तीय प्रतिष्ठानों के प्रवर्तकों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है।

इसी तरह, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की सुरक्षा करना और प्रतिभूति बाज़ार के विकास को प्रवर्तित करना तथा उसे विनियमित करना सेबी का दायित्व है। सेबी अधिनियम, 1992, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत अपना सांविधिक दायित्व पूरा करते हुए, सेबी ने प्रतिभूति बाज़ार में निवेशकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न विनियम/दिशानिर्देश बनाए हैं।

स्रोत: *संसदीय प्रश्न*

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।